INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP73675452447132W

Certificate No.	:	IN-UP73675452447132W
Certificate Issued Date	:	05-Sep-2024 04:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14418104/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14418104440389499064 32W
Purchased by	:	ABS FOUNDATION TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ABS FOUNDATION TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ABS FOUNDATION TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

₹750

LOCKED BY

VERIFIED BY

IN-UP73675452447132W

Please write or type below this line

ADV

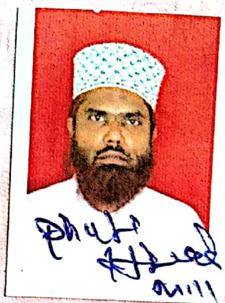

ADV

QE 0011690131

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

उपनिबन्धक कार्यालय तहसील ठाकुरद्वारा

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड आज दिनॉक 04–09–2024 को कचहरी, जिला मुरादाबाद, (उ0प्र0) में लिखी गयी।

वकार अहमद पुत्र श्री अली हसन (आधार नं0–XXXX XXXX 2473) निवासी ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद (उ0प्र0) जिनको आगे से ट्रस्ट का ट्रस्टी/अधयक्ष कहा जायेगा।

जोकि ट्रस्टी ने अंकन 5,000/– पॉच हज़ार रूपये मात्र से शुरू किया है। इन रूपयों को ट्रस्टी ने अपनी इच्छा से सामाजिक सेवा व विकास के कार्य करने के लिए ट्रस्ट को देने का निश्चय किया है।

यह कि ट्रस्टी अपने धन से एक ट्रस्ट/न्यास स्थापित करना चाहता है ताकि ट्रस्टी की इच्छानुसार उसके धन से ट्रस्ट के उददेश्य पूरे किये जा सके। लिहाजा दस्तावेज हाजा के द्वारा ट्रस्टी ट्रस्ट का निर्माण करता है उक्त धन को किसी सामाजिक व धार्मिक कार्यों में खर्च करने के समस्त अधिकार फाउंडर ट्रस्टी को दिये जाते हैं। जिनका लिया जाना फाउंडर ट्रस्टी ने स्वीकार कर लिया है यह धन राशि ट्रस्ट में निहित हो गई है तथा आज से ट्रस्ट के उपयोग में लायी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400717012048

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 52 वर्ष: 2024

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 140 योग : 640

श्री वकार अहमद ,
पुत्र श्री अली हसन
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम ढकिया जट ठाकुरद्वारा मुरा०

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 06/09/2024 एवं 03:44:35 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उमेश कुमार राठौर . .
उप निबंधक :ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद
06/09/2024

अर्जुन सिह . .
निबंधक लिपिक
06/09/2024

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner

मैनेजिंग ट्रस्टी जिन्हें ट्रस्ट का संस्थापक सदस्य कहा जायेगा।

1. **वकार अहमद** पुत्र श्री अली हसन (आधार नं0—XXXX XXXX 2473) निवासी ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद अध्यक्ष/ट्रस्टी
2. **गुलाम रसूल** पुत्र श्री अली हसन (आधार नं0—XXXX XXXX 7191) निवासी ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद उपाध्यक्ष
3. **गुलाम मौहम्मद** पुत्र श्री अली हसन (आधार नं0—XXXX XXXX 3317) निवासी ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद सचिव

1.	**ट्रस्ट का नाम हिन्दी**	:	**ए0बी0एस0 फाउण्डेशन ट्रस्ट**
2.	**ट्रस्ट का नाम अंग्रेजी**	:	**ABS FOUNDATION TRUST**
3.	**ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय**	:	ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद (उ0प्र0)।
4.	**ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र**	:	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा।
5.	**ट्रस्ट की सम्पत्ति**	:	**रूपये 5,000/—**
6.	**ट्रस्ट के उददेश्य**	:	**ट्रस्ट के निम्न उददेश्य होंगे।**

Waqar

गुलाम मो0

आवेदन सं०: 202400717012048

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 52 | वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री वकार अहमद, पुत्र श्री अली हसन

निवासी: ग्राम ढकिया जट ठाकुरद्वारा मुरा०

व्यवसाय: अन्य

Waqar

न्यासी: 2

श्री गुलाम मौहम्मद, पुत्र श्री अली हसन

निवासी: ग्राम ढकिया जट ठाकुरद्वारा मुरा०

व्यवसाय: अन्य

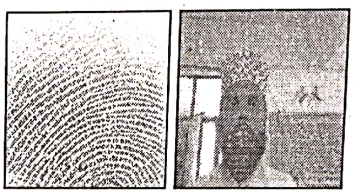

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री इन्साफ अली , पुत्र श्री जाकिर हुसैन

निवासी: नई बस्ती ठाकुरद्वारा मुरा०

व्यवसाय: अन्य

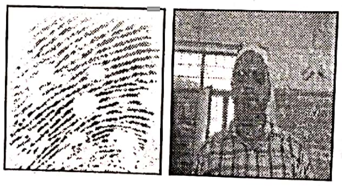

इन्साफ

पहचानकर्ता : 2

श्री मौहम्मद रजा , पुत्र श्री मौहम्मद हुसैन

निवासी: बहेडी ब्रहमनान मुरा०

व्यवसाय: अन्य

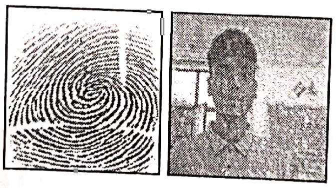

मौ० रजा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उमेश कुमार राठौर . .
उप निबंधक : ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद
06/09/2024

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अर्जुन सिह . .
निबंधक लिपिक मुरादाबाद
06/09/2024

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner

A. **शिक्षा—**

1. समाज में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए कार्यक्षेत्र में स्कूल, कॉलिज, डिग्री कॉलिज संचालन करके बालक—बालिकाओं को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना और उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान आवासीय सुविधा प्रदार करने के लिए छात्रावासों का निर्माण, प्रबन्धन एवं संचालन करना।
2. बालक—बालिकाओं को उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने के अलावा उनको आत्म निर्भर बनाने के लिए रोजगार व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण कॉलिजों की स्थापना व संचालन करना तथा सभी संकायों में प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि की स्थापना व संचालन करना।
3. समाज के निर्धन/अनाथ/दिव्यांग व उपेक्षित बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क, सुलभ (अल्प—व्यय) शिक्षा प्रदान करना और इनके विकास के लिए आवश्यक कल्याण की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. समाज के बौद्धिक विकास एवं ज्ञानवर्धन हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।

Scanned with OKEN Scanner

5. अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम बालक–बालिकाओं को दीनी तालीम के साथ–साथ दुनियावी तालीम के लिए अरबी, फारसी मदरसे के निसाब के मुताबिक अरबी, फारसी तहतानिया, फौकानिया, आलिया व अरबी–फारसी शिक्षा का इंतजाम करना व सम्बन्धित विभागों/मन्त्रालयों से मिलने वाली सहायता/अनुदान दिलाने का प्रयास करना।

6. समाज के बालक एवं बालिकाओं को हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी, अरबी, फारसी व अन्य देशी–विदेशी भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना।

7. समाज के सभी वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश साक्षरता सर्वशिक्षा अभियान आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

8. समाज के मन्दबुद्धि, मानसिक विकलांग, मूकबधिर व उपेक्षित बालक–बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा प्रदान करना व उनके कल्याण के लिए आवश्यक सभी योजनाओं नीतियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना।

Scanned with OKEN Scanner

9. बालिकाओं की शिक्षा एवं उनके विकास के लिए अलग से बालिका विद्यालयों, बालिका महाविद्यालयों की स्थापना, महिला छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन करना और बालिकाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए उच्च तकनीकि शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना करना व संचालन करना तथा रोजगारपरक व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के ट्रेनिंग कॉलिजों/वोकेशनल कॉलिजों की स्थापना व संचालन करना।

10. अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निर्धन/दिव्यांग व अन्य पात्र बालक–बालिकाओं को समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग से छात्रवृत्ति व अन्य सम्बन्धित विभागों की राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना व उनका लाभ दिलाना।

11. समय की आवश्यकतानुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक इकाइयों को अपग्रेड करना।

12. बालक–बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योगा व आध्यात्मिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना तथा व्यायामशाला की स्थापना एवं संचालन करना।

13. शिक्षा के क्षेत्र में अन्य व सभी वैधानिक कार्य एवं प्रयास करना जो समय की मांग के अनुसार आवश्यक प्रतीत हों।

Scanned with OKEN Scanner

14. ट्रस्ट समस्त प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों आदि के लिए प्रदेश सरकार व भारत सरकार एवं सक्षम संस्थानों से सक्षम संबधता व मान्यता लेकर स्थापना एवं संचालन करेगा।

B. **प्रशिक्षण—**

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

2. ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण निःशुल्क (हस्तकरघा, चर्म उद्योग, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, अंगोरा खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, कृषि सहायक औद्योगिक प्रशिक्षण, कागज उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस, बुक बाइन्डिंग, कॉच उद्योग, रबर सामग्री उत्पादन, रसायनिक उत्पादन, खेलकूद सामग्री उत्पादन, खाद्य एवं फल संरक्षण, टेलरिंग, हैण्डलूम, पावर लूम, इलैक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाइल, सिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री रोजगार प्रशिक्षण, उपभोक्ता जागरूकता केन्द्रों/शिविरों/क्लबों की स्थापना करना।

3. सरकारी/गैर सरकारी परियोजना के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कराना एवं खादी के विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

4. प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदर्शनी एवं रोजगारोन्मुखी मेला का आयोजन करना। तकनीकी औद्योगिक/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं रोजगारोन्मुखी परामर्श देना।

5. उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श सेवाये, शोध, सर्वेक्षण, औद्योगिक प्रबन्ध एवं निर्यात आदि से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन व प्रचार–प्रसार करना।

6. हस्तशिल्पियों/कारीगरों/बुनकरों हेतु समूह गठन, क्रेडिट कार्य योजनाएं, बीमा योजनाएं, तकनीकी उन्नयन कार्यक्रमों तथा आवास निर्माण कार्यक्रमों के संचालन में सहभागिता करना।

c. **स्वास्थ्य–**

1. समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च आधुनिक स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा डिस्पेन्सरी से लेकर आधुनिकतम उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त अस्पतालों/अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन व धर्मार्थ चिकित्सालय के माध्यम से जनसामान्य को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना।

2. दूर दराज व पिछड़े इलाकों के बाशिंदों व वंचितों को चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिए सचल डिस्पेंसरी की स्थापना व संचालन करके लोगों की निःशुल्क सेवा करना व अन्य जनस्वास्थ्य व चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना।

Scanned with OKEN Scanner

3. समाज में व्याप्त लाइलाज व गम्भीर बीमारियों जैसे एड्स, पोलियो, कुष्ठ रोग, कैंसर, ह्दय रोग, डायबीटिज, हेपेटाइटिस, टी0बी0 मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना और समाज के लोगों में प्रचार–प्रसार अभियान एवं अन्य कार्यक्रमों के जरिये उनके प्रति उदारता के लिये प्रेरित करना।

4. अभियान चलाकर टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पोषाहार मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु प्रचार–प्रसार करना और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करना व उनका लाभ दिलाना।

5. निःशुल्क आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर व अन्य देशी विदेशी पद्धतियों पर आधारित चिकित्सा केन्दों की स्थापना व उनका संचालन करना व कैम्प आयोजित करना। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार–प्रसार करना।

6. वन औषधियों, जड़ी बूटियों व रसायन आधारित औषधालयों व उत्पादन इकायइयों व रिसर्च केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

7. शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण, परिवार नियोजन आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों, कैम्पों का आयोजन कर परिवार नियोजन के उददेश्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान कर देश की जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग प्रदान करना।

Scanned with OKEN Scanner

D. **कृषि वन एवं पशुपालन—**

1. नई कृषि नीति के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि कर ग्रामीण, संसाधन संरक्षण जैसे— भूमि श्रमिक, पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन, फलोत्पादन, डेयरी फार्म, मशरूम उत्पादन, सेरी—कल्चर, औद्यानिक कृषि औषधीय कृषि इत्यादि का विकास करना।
2. ऊसर भूमि, परती भूमि, बीहड़ भूमि का सुधार हेतु परियोजनाओं / कार्यक्रमों का नियमानुसार संचालन करना।
3. मृदा एवं जल संरक्षण, भूगर्भ जल संरक्षण, नदियों एवं जलाशयों की स्वच्छता हेतु विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, रसोई वानिकी का विकास करना।
5. जैविद कम्पोस्ट खाद, बर्मी कम्पोसट, नेडफ खाद का अधिकाधिक उत्पादन व प्रयोग कर उपज वृद्धि कराना एवं कृषि विकास पदार्थों का सद्पयोग के लिए प्रचार—प्रसार करना।
6. कृषि संयन्त्रों का निर्माण एवं सुधार करना।
7. बहुफसली कृषि, शुष्क कृषि, बहुउददेशीय फसलों एवं नगदी फसलों के उत्पादन तथा कृषि विविधीकरण पर कार्य करना।
8. चारागाह, फलदार वृक्ष एवं पौधशालाएं लगाना एवं पशुपालन विकास हेतु निःशुल्क पशु चिकित्सालय एवं कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना।

Scanned with OKEN Scanner

9. लघु किसान एवं सीमान्त किसानों चल चिकित्सा स्वास्थ्य पशु शेल्टर–हाउस/पशु चिकित्सालय की स्थापना करना व लावारिस पशुओं की देखरेख व चारे की व्यवस्था करना।

10. दुर्लभ/विलुप्त हो रहे पशु पक्षी संरक्षण तथा पशु एवं पक्षियों के प्रति क्रूरता निवारण हेतु जनसामान्य को प्रेरित करना/जागरूक करना/पक्षी विहार, जल विहार, वन विहार आदि की स्थापनार्थ कार्य करना।

11. जड़ी बूटियों का संगृहण, विकास व उत्पादन से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन करना। केले के पौधों/पेड़ों पर अनुसंधान करना केले के पौधे पर विभिन्न तरह के उपयोग करना।

12. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं कृषि मंत्रालय, वन विभाग, उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं संचालन में सहयोग करना।

E. जल संसाधन/प्रबन्धन–

1. पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन एवं अन्य पेयजल स्रोतों का विकास करना तथा ग्रामीण व शहरी स्वच्छता के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से सम्बन्धित कार्य करना।

Scanned with OKEN Scanner

2. जल संचय, संरक्षण, चैकडेम, समरसेबिल पम्प के क्षेत्र में कोई कार्य करना, ओवर हैड टैंक, मिनी पाईप–वाटर सप्लाई स्थापित करना। जल प्रबन्धन हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कार्य करना एवं पीने योग्य पानी की जॉच केन्द्रों/सचल केन्द्रों की स्थापना करना।

3. पानी के स्रोतों को ध्यान में रखते हुये रिचार्ज वैल (भूमि के अन्दर पानी की वापसी) हेतु कार्य करना।

4. तालाबों का सौन्दर्यीकरण, खुदाई तथा प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण हेतु सहभागिता सम्बन्धी क्रियाकलाप करना एवं प्रशिक्षण कराना।

5. नदियों के बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु जन जागृति एवं जन सहभागिता सम्बन्धी क्रियाकलाप करना।

F. **पर्यावरण–**

1. अनुपयोगी जल का समुचित प्रयोग एवं प्राकृतिक धरोहर को संतुलित बनाये रखने के लिए व पशु, पक्षी पालन, सघन वृक्षारोपण की स्थापना तथा वन, जल एवं भूमि को नष्ट होने से बचाने हेतु कार्य करना।

2. सेमीनार कार्यशाला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण रक्षा की जानकारी से अवगत कराना।

Scanned with OKEN Scanner

3. बायोगैस, बायोमास, चारकोल भटट्ी एवं धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग हेतु कार्य करना।

4. पर्यावरण प्रबन्धन, नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करना।

5. उद्यानों गृहवाटिका, पार्कों की स्थापना तथा रखरखाव एवं उनके विकास में सहयोग देना। वनों की रक्षा के लिए कार्य करना।

6. सघन वृक्षारोपण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन करते हुए जनजागृति अभियान चलाना।

7. पर्यावरण प्रदूषण तत्वों/यन्त्रों संयत्रों की स्थापना देशी तकनीक पर आधारित साधनों/यन्त्र संयत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देना व एतद् सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

G. **आर्थिक विकास—**

1. सिड़वी, नाबार्ड, कपार्ड, आबार्ड, यू0एन0डी0पी0, आई0डी0बी0आई0, सेफ इण्डिया, सिफ्सा, यूनीफेम, केयर, नौराड, स्टेप, स्वाधार अक्सफेम इण्डिया, हैल्प ऐज इण्डिया, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं अन्य वित्तपोषित अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करना।

2. सूक्ष्म साख कार्यक्रम (माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम) के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।
3. बैंकिंग एवं कम्पनी अफेयर तथा वित्त प्रबन्धन के लिए जनसामान्य को जागरूक करना एवं उस पर कार्य करना।
4. खनिज पदार्थों तथा प्रकृति (पेट्रोलियम पदार्थ तथा नैचुरल गैस) के दोहन एवं सदुपयोग के लिए कार्य करना।

H. **राज्य स्तरीय तथा केन्द्रीय मंत्रालयों जैसे—**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, आणविक ऊर्जा विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कोयला खनन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विभिन्न कॉमर्शियल बैंक, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय, अन्तरिक्ष मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कानून एवं

Waka

उग्गलाम मोo

Scanned with OKEN Scanner

न्याय मंत्रालय, गैर परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय, सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, जल परिवहन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, हस्तशिल्प मंत्रालय, हथकरघा मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता मंत्रालय आदि के द्वारा संचालित योजनओं में सहभागिता करना उनका संचालन करना व उन्हें बढ़ावा देना या समय–समय पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्थापित मंत्रालयों में संसोधन/नया मंत्रालय स्थापित किया जाता है तो ट्रस्ट उनके अनुरूप कार्य करेगा।

I. **राज्य स्तरीय तथा केन्द्रीय निगमों जैसे–**

अनुसूचित वित एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, विकलांग कल्याण वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय महिला कोष, जल निगम, निर्यात निगम, भूमि सुधार निगम, मत्स्य विकास निगम, महिला कल्याण निगम, राजकीय निर्माण निगम, औद्योगिक विकास निगम, कर्मचारी कल्याण निगम, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, चमड़ा विकास निगम, चीनी निगम, पर्यटन विकास निगम,

Scanned with OKEN Scanner

वन निगम, सड़क परिवहन निगम, हथकरघा निगम, लघु उद्योग निगम, वक्फ विकास निगम, जल विद्युत विकास निगम, वित्त निगम, सेतु निगम, बीज विकास निगम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, राज्य भण्डारण निगम, गन्ना बीज निगम, यूपिको, यू0पी0 डेस्को, पिकप, पी0सी0एफ0, नैफेड, सी0एफ0टी0आर0आई0, होफेड आदि द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में सहभागिता एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना।

J. **सामाजिक विकास–**

1. वेश्यावृत्ति, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, भ्रूण हत्या उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करना व महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा व अत्याचार, अनाचार को रोकने हेतु प्रयास करना तथा जाति व धार्मिक सद्भाव स्थापित करने व जनजागृति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, कैम्प व रैली आदि का आयोजन करना।

2. बाल श्रमिकों को मुक्त करना, विधवा विवाह, सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, अर्न्तजातीय विवाह, धर्म समानता का व्यापक प्रचार–प्रसार करना एवं विवाह योग्य निराश्रित निर्धन युवक–युवतियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

Scanned with OKEN Scanner

3. सामाजिक सामानता एवं सामाजिक समरसता स्थापित करना।
4. परम्परागत पर्व त्यौहारों एवं राष्ट्रीय/त्यौहारों, पर्वो पर सामाजिक सहयोगात्मक कार्यक्रम चलाना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना।
5. वर्गवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, अस्पृश्यता तथा मानव अंगों के व्यापार, बंधुवा प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु जन जागरण अभियान व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में कार्य करना।
6. सामाजिक संगठनों, क्लबों, समूहों की स्थापना करना।
7. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नाबार्ड, कपार्ड आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर कार्य करना।
8. निराश्रित महिलाओं को आश्रय दिलाने हेतु प्रयास करना।
9. बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाना और ससम्मान जीविका उपार्जन के साधन खोलकर/खोजकर उनकी सहायता करना।
10. बेबी क्रैश, बालवाड़ी, व बच्चों के कार्यक्रमों का संचालन करना।
11. महिलाओं के कल्याण हेतु कार्य करना एवं परिवार परामर्श केन्द्र, महिला हैल्पलाईन, नारी निकेतन, कामकाजी महिलाओं हेतु महिला हॉस्टल स्थापित व संचालित करना तथा महिला लोक अदालतों का आयोजन करना।

Scanned with OKEN Scanner

12. नशाबन्दी कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु प्रचार करना।

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांगों के कल्याण हेतु योजनाओं को मुर्तरूप देना।

14. बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से उद्योगों को बढ़ावा देना है।

15. वृद्धावस्था आश्रम खोलना।

16. आंगनबाड़ी महिला प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

17. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

18. पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता करना एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना।

19. लावारिस मानव शवों के अन्तिम संस्कार करना।

20. सामुदायिक विकास के अन्तर्गत सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

21. आतंकवाद, नक्सलवाद, आपराधिक कृत्य, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, बाल अपराध के उन्मूलन हेतु जन आन्दोलन चलाना।

22. दैवीय आपदाओं बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफान, सुनामी दुर्घटना, युद्ध आदि के समय पीड़ितों की सहायता करना।

Scanned with OKEN Scanner

23. विकलांगों के कल्याणार्थ लाईफ हेल्थ केयर स्कीम का संचालन करना तथा बीमा पॉलिसी का संचालन करना।

K. **मानव संसाधन विकास—**

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रदर्शनी आयोजित करना।
2. मिलन केन्द्र, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा, सामुदायिक शौचालय अन्य प्रकार के बहुउद्देश्य भवनों का निर्माण करना।
3. मद्यपान, धूम्रपान, ड्रग्स, स्मैक जैसी आदतों को सुधारने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार के माध्यम से अभियान चलाना एवं इससे प्रभावित रोगियों हेतु अस्पताल खोलना।
4. युवा शक्ति विकास के लिए व्यायामशाला, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
5. नेहरू युवा केन्द्र एवं अन्य ग्रामीण संस्थाओं (युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सहेली समूह) के माध्यम से ग्रामीण लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना।
6. राष्ट्रीय एकता, अखण्डता को अक्षुण रखने हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।
7. गैर परम्परागत ऊर्जा (वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत) के क्षेत्र में कार्य करना।
8. मानव कल्याण, जीव संरक्षण परियोजनओं हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण आदि कार्य करना।

Scanned with OKEN Scanner

9. जैव विविधता, संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्य करना।

L. **नोटः– भारत सरकार/ राज्य सरकार के द्वारा भविष्य मे नये मंत्राल्य/आयोग/निगम आदि के सम्बन्ध में**

यदि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा नये मंत्रालयों, आयोगों व निगमों आदि को भविष्य में स्थापित किया जाता है या वर्तमान मंत्रालयों, आयोगों एवं निगमों आदि में संसोधन/परिवर्तन किया जाता है तो ट्रस्ट उनके अनुरूप कार्य करेगा।

M. **अन्य विविध कार्यक्रम–**

1. सेमीनार गोष्ठी एवं कार्यशाला के माध्यम से आम नागरिकों को कर्तव्यों की जानकारी देना। राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराकर उन्हें आदर्श नागरिक बनाने की प्रेरणा देना।

2. मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, सेवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, संसाधन एवं व्यय आयोग, लोक सेवा आयोग आदि द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग उपलब्ध कराना।

3. अन्य प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों, ट्रस्टों के साथ मिलकर कार्य करना तथा ऐसी संस्थाओं, संगठनों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर आदान–प्रदान करना एवं सहायता करना।

Scanned with OKEN Scanner

4. समय–समय पर सीरतुन्नबी व मजहबे इस्लाम से मुतालिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना। सेमीनार, गोष्ठी एवं कार्यशाला के माध्यम से आम नागरिकों को कर्तव्यों की जानकारी देना। राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराकर उन्हें आदर्श नागरिक बनाने की प्रेरणा देना।

5. वह समस्त कार्य जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत आते हों को संचालित करना एवं ट्रस्ट की पहचान एक अल्पसंख्यक ट्रस्ट के रूप में की जायेगी।

6. भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से आर्थिक सहयोग से उपरोक्त कार्यक्रम संचालित करना।

7. **नाम व पते ट्रस्टी–**

1. **वकार अहमद** पुत्र श्री अली हसन (आधार नं0–XXXX XXXX 2473) निवासी ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद अध्यक्ष/ट्रस्टी
2. **गुलाम रसूल** पुत्र श्री अली हसन (आधार नं0–XXXX XXXX 7191) निवासी ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद उपाध्यक्ष
3. **गुलाम मौहम्मद** पुत्र श्री अली हसन (आधार नं0–XXXX XXXX 3317) निवासी ग्राम ढकिया जट तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद सचिव

Scanned with OKEN Scanner

फाउन्डर ट्रस्टी में से किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी की मृत्यु या त्याग पत्र स्वीकृत होने पर रिक्त हुए स्थान पर फाउन्डर ट्रस्टी के ही परिवार से किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को जो फाउन्डर ट्रस्टी का उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस हो उसी को ही नियुक्त किया जायेगा। पीढ़ी–दर पीढ़ी यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक यह ट्रस्ट कायम रहेगा। किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी को कभी भी ट्रस्ट से निष्काषित नहीं किया जा सकता है, और ना ही कभी निकाला जा सकता है। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित होगा।

इसके अतिरिक्त फाउन्डर ट्रस्टीज ट्रस्ट का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार एक कमेटी का गठन करेंगे जो ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन का कार्य देखेगी। उक्त कमेटी का गठन 2 वर्ष के लिए किया जायेगा तथा 2 वर्ष उपरान्त पुनः पुरानी कमेटी या कुछ परिवर्तन के साथ संशोधित कमेटी या बिल्कुल नई कमेटी का गठन फाउन्डर ट्रस्टीज द्वारा किया जायेगा। फाउन्डर ट्रस्टीज यदि एकमत हो तो स्थानीय कमेटी में फेरबदल कभी भी किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

4. **ट्रस्ट की सम्पत्ति**–ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार चल–अचल सम्पत्ति को क्रय करने व विक्रय करने का अधिकार फाउन्डर ट्रस्टियों को होगा। ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–रेख करना उस पर निर्माण कराना, मरम्मत कराना, पट्टे पर भूमि लेना व देना, किराये पर सम्पत्ति को लेना व देना आदि कार्य का पूर्ण अधिकार फाउन्डर ट्रस्टियों को होगा एवं भविष्य में चल–अचल सम्पत्तियाँ ट्रस्ट द्वारा खरीदी जाये या दान में, हिबा में, बसीयत में मिलने वाली सम्पत्तियाँ ट्रस्ट में निहित होती रहेंगी।

5. **ट्रस्ट के लिए धन का प्रबन्ध**–

1. ट्रस्ट के फाउन्डर ट्रस्टी आवश्यकता पड़ने पर अपनी स्वेच्छा से ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करेंगे।
2. ट्रस्ट के लिए धन का प्रबन्ध निजी स्त्रोतों, दान, अनुदान, चन्दा, जकात, फितरा, हदिया आदि से किया जायेगा।
3. ट्रस्ट की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, ड़ाकघर एवं व्यक्तियों व सहकारी समितियों से दान एवं अनुदान व ऋण लिया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

4. ट्रस्ट के उत्थान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों एवं अन्तराष्ट्रीय सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से भी ऋण एवं दान–अनुदान लिया जा सकेगा।

6. **ट्रस्ट के लिए आयकर अधिनियम–1961 का प्रावधान**–यह विशेष रूप से घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित नियम व शर्तें इस ट्रस्ट डीड का मुख्य भाग है। यह कि ट्रस्ट को होने वाले लाभ को और ट्रस्ट के फण्ड का उपयोग केवल उन्हीं सीमाओं एवं प्रतिबन्धों तक किया जायेगा जो आयकर अधिनियम 1961 या वैल्थ टैक्स अधिनियम या कोई अधिनियम जिस पर आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हो, किया जायेगा यदि उक्त आयकर अधिनियम 1961 या वैल्थ टैक्स अधिनियम 1957 में कोई संशोधन होता है या भविष्य में कोई अधिनियम आता है तो उसके नियम व शर्ते ट्रस्ट पर लागू होंगे। यहकि इस ट्रस्ट पर आयकर अधिनियम की धारा–12ए, 80जी, एफ0सी0आर0ए0 एवं 35ए.सी. या अन्य कोई समान नियम जो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आते हों लागू होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष/प्रबन्ध न्यासी के अधिकार व कर्तव्य—

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनॉकों का अनुमोदन करना।
3. पारित बजट के अन्दर आय—व्यय की स्वीकृति करना।
4. किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
5. ट्रस्ट के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
6. ट्रस्ट की चल—अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
7. ट्रस्ट का पत्र व्यवहार करना।
8. ट्रस्ट हेतु अनुदान प्राप्त करना।
9. ट्रस्ट के लिए चल—अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।
10. समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
11. ट्रस्ट द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों एवं अनेक शैक्षणिक संस्थान में डाइरेक्टर व कुलाधिपति के कार्यों का निर्वाह करना एवं इसके अतिरिक्त अनेक कार्यों को करना तथा कराना जो संस्थानों में आवश्यक हो।

Scanned with OKEN Scanner

8. फाउन्डर ट्रस्टियों के अधिकार व कर्तव्य–

1. फाउन्डर ट्रस्टीज ट्रस्ट के प्रबन्ध व उसके चलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे।
2. कोई भी फाउन्डर ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों व नियमों के विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।
3. फाउन्डर ट्रस्टियों को ट्रस्ट की मीटिंग में भाग लेना आवश्यक होगा।
4. ट्रस्ट के वैतानिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, वेतनवृद्धि, निलंवन, बहाली के लिए निर्णय लेना एवं विचार करना आदि।
5. ट्रस्ट के लिए नियम व शर्ते बनाना या उनमें संशोधन करने या किसी भी नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार होगा।
6. वर्तमान ट्रस्ट डीड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने का अधिकार ट्रस्टियों की आपसी सहमति पर होगा तथा परिवर्तन की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा निबन्धन कार्यालय को दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

9. **ट्रस्टियों की आयोग्यता व उन्हें निकाला जाना–**

1. किसी ट्रस्टी का पागल हो जाने पर।
2. किसी ट्रस्टी के दिवालिया हो जाने पर।
3. ट्रस्ट के अहित कारक कार्य करने पर।
4. ट्रस्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर।
5. मृत्यु हो जाने पर।
6. अपनी इच्छा से त्याग पत्र देने के उपरान्त स्वीकार होने पर।
7. किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा कारावास एवं दण्डित हो जाने पर।
8. ट्रस्ट में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाने पर।

10. **ट्रस्ट की मीटिंग**–ट्रस्ट की मीटिंग वर्ष में दो बार ट्रस्ट के कार्यालय में की जायेगी। मीटिंग की सूचना सभी ट्रस्टियों को 15 दिन पूर्व दी जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी मीटिंग बुलाई जा सकती है जिस की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

11. **ट्रस्ट का बैंक खाता**–ट्रस्ट के धन को किसी राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, ड़ाक घर, शैड़यूल बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर किया जायेगा। जिसका संचालन न्यासी/ट्रस्टी करेंगे। जिसका वार्षिक लेखा किसी चार्टर्ड़ एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

12. **ट्रस्ट की सम्पत्ति की बिक्री**–ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति जो ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई हो या ट्रस्ट को दान में दी गई हो वह सम्पत्ति ट्रस्ट के प्रयोग में ना लायी जा रही हो या भविष्य में ट्रस्ट के प्रयोग में ना लायी जाने वाली हो वह सम्पत्ति फाउन्डर ट्रस्टियों की सहमति से अध्यक्ष को सम्पत्ति बिक्रय करने का अधिकार होगा तथा अध्यक्ष उसे बिक्रय कर उतनी धनराशि की सम्पत्ति या बेची गई सम्पत्ति के बराबर जो दोनों में से उस समय अधिक हो अन्य स्थान पर उतनी सम्पत्ति अध्यक्ष या फाउन्डर ट्रस्टी ट्रस्ट को देंगे या ट्रस्ट की बेची गई सम्पत्ति की धन राशि को ट्रस्ट के खाते में जमा करेंगे जिससे ट्रस्ट की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

Waqar

गुलाम मो०

Scanned with OKEN Scanner

13. ट्रस्ट का विघटन/विलिनिकरण—ट्रस्ट की समाप्ति (विघटन) विलिनिकरण की दशा में ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट को सौंपी जायेगी। यह भी जाहिर करना है कि यह ट्रस्ट एक स्वतंत्र ट्रस्ट है इसका किसी अन्य संस्था एव ट्रस्ट से कोई सम्बन्ध नही है। उपयुक्त ट्रस्ट मे निहित धनराशि केवल 5000/— रुपये है इसके अतिरिक्त ए0बी0एस0 फाउण्डेशन ट्रस्ट के पास आज की दिनांक 06.09.2024 तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नही लगी है।

अतः यह ट्रस्ट ड़ीड तहरीर कर दी ताकि सनद रहे और वक्त जरूर काम आये।

गवाहानः

अध्यक्ष

इन्साफ अली

1— इन्साफ अली
पुत्र जाकिर हुसैन
नि0— नई बस्ती ठाकुरद्वारा मुरा0

सचिव गुलाम गौस

मौ0 रजा

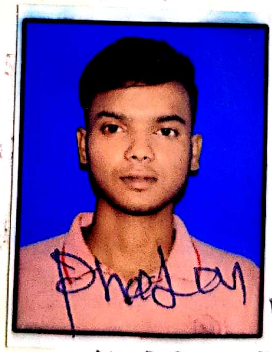

2— मौहम्मद रजा
पुत्र मौहम्मद हुसैन
नि0—बहेड़ी ब्रहमनान मुरा0

यह ट्रस्ट ड़ीड आज दिनॉक 06.04.2024 को बमुकाम कचहरी मुरादाबाद बमशवरा मौहम्मद याकूब एड0 के अरशद ने टाईप किया।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202400717012048

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 25 के पृष्ठ 223 से 280 तक क्रमांक 52 पर दिनाँक 06/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उमेश कुमार राठौर . .
उप निबंधक : ठाकुरद्वारा
मुरादाबाद
06/09/2024

प्रिंट करें

Scanned with OKEN Scanner